कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री प्रवीण कुमार यादव, प्रधानाध्यापक रामावि–आलनपुर, बानसूर, अलवर को प्रधानाचार्य (मा. शिक्षा) के पद पर वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध पदौन्नत कर दिनांक 14.07.2017 को आयोजित काउन्सलिंग उपरान्त उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर विभागीय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी–17–18/2017 दिनांक:14.07.17 द्वारा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सादी (गंगरार) चित्तौड़गढ में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था जहां पर श्री यादव द्वारा दिनांक 22.07.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्री प्रवीण कुमार द्वारा काउन्सलिंग के समय अलवर जिले में राउमावि–पाटन अहीर (कोटकासिम), राउमावि–मतलवास (कोटकासिम), राउमावि–तिगाया, (कोटकासिम) राउमावि–सिरोडखुर्द (मुण्डावर), राउमावि–शाहजहाँपुर (नीमराना) तथा राउमावि–खरखड़ी कलाँ, (थानागाजी) अलवर में प्रधानाचार्य के पद रिक्त होते हुए भी उन्हें काउन्सलिंग के समय रिक्तियों में प्रदर्शित नहीं किये जाने तथा प्रार्थी द्वारा विवश होकर चित्तौड़गढ जिले हेतु अपनी सहमति देने सम्बन्धी शिकायत के चलते माननीय अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 16/2018 श्री प्रवीण कुमार यादव बनाम श्रीमान निदेशक दायर की गई।

अपील संख्या 16/2018 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2018 में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व मुख्य रूप से अपीलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी श्री प्रवीण कुमार माननीय न्यायालय के आदेश के 15 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी/संदर्भित प्रत्यर्थी विभाग को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे व संदर्भित प्रत्यर्थी विभाग पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 1 माह के भीतर नियमानुसार विचार कर एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं की परिवेदना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अलवर जिले में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के वर्तमान में रिक्त अथवा आगामी समय में सेवानिवृति अथवा विद्यालय कमौन्नति के कारण रिक्त होने वाले पदों पर रिकाउन्सलिंग के माध्यम से पदस्थापित करने की मांग की गई।

प्रार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री प्रवीण कुमार की काउन्सलिंग वरिष्ठतानुसार की गई थी और उनके द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान का चयन विकल्प प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से किया गया था। जहां तक अपीलार्थी के जिले के सभी रिक्त पदों को प्रधानाचार्य पद हेतु आयोजित काउन्सलिंग की रिक्तियों में प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है तो शासन के पत्र क्रमांक: प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांक: 12.02.2016 के अनुसार काउन्सलिंग में केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों को ही शामिल करने हेतु निर्देश प्राप्त हैं। काउन्सलिंग के दौरान रिक्तियों को प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। **उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले से पदौन्नत हुए प्रधानाचार्यों की संख्या अथवा जिले में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या जो भी कम हो, के बराबर पदौन्नत प्रधानाचार्यों के पदस्थापन हेतु रिक्तियों का जिलेवार संख्यात्मक आवंटन किया जाता है।** इस प्रकार विभाग द्वारा आयोजित काउन्सलिंग की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। **अतः याचिकार्थी द्वारा की गई पुनः काउन्सलिंग सम्बन्धी मांग किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है।** याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य सेवा का पद है और राज्य एवं लोक हित में उनका पदस्थापन राज्य में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्री प्रवीण कुमार यादव, प्रधानाचार्य राउमावि–सादी, गंगरार, चित्तौड़गढ का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/प्रवीण कुमार/अपील/16/2018 दिनांक 05.04.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा चित्तौड़गढ।

Scanned by CamScanner